

## प्रेसनोट दिनांक 09.09.2023

1. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शंकर लाल पुत्र स्व0 गोविन्द राम नि0 रिकाबगंज थाना को0नगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 600 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र पुत्र स्व0 मलहू प्रसाद नि0 देवकाली थाना को0नगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 601 / 23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री यशवन्त द्विवेदी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बसन्त निषाद पुत्र खुशीराम निषाद नि0 हाजीपुर सिंहपुर दराबगंज थाना कैण्ट अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 330 / 23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री अशोक चौरसिया थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक चौहान पुत्र अमरनाथ चौहान नि0 लोनिया का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 331 / 23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज निषाद पुत्र स्व0 शिव कुमार निषाद नि0 निर्मली कुण्ड थाना कैण्ट अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 332 / 23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री अविनाश त्रिपाठी थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप मांझी पुत्र मंगरु मांझी नि0 हुनमान कुण्ड थाना को0अयोध्या अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 520 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि आलोक प्रताप सिंह पुत्र शिव बहाल नि0 अवनपुर सरोहा थाना पूराकलन्दर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 445 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विक्रम कुमार पुत्र परमेश्वरदीन नि0 शिवदासपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 446 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 08.09.23 को वार्दी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि डिग्गू निषाद पुत्र कामता निषाद नि0 लालपुर भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 447 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 08.09.23 को वार्दी श्री संतोष कुमार सिंह प्र0नि0 गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नन्हे सिंह पुत्र प्रकाश सिंह नि0 कालूपुर बरखेड़ा बिसौली जनपद बदायू |गिर0 अभि0गण द्वारा पुलिस

पार्टी पर जान से मारने के नीयत से तमंचा से फायर करना व जवाबी कार्यवाही में अभिन्न नह्ने सिंह तथा आरक्षी अनुराग कुमार थाना गोसाईगंज का घायल हो जाना तथा अभिन्न नह्ने सिंह के कब्जे से 01 अदद तमंचा .32 बोर, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 244 / 23 धारा 307 भादवि व 3 / 25 आम्स एकट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 08.09.23 को वादी उठनी श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुमित कुमार पुत्र सत्यदेव निनी परशुरामपुर थाना रौनाही अयोध्या। गिरो अभिन्न द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं पर भद्रदी-भद्रदी टिप्पणी करना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 457 / 23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 08.09.23 को वादी उठनी श्री अशोक कुमार थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र हरिराम निनी बैदरापुर थान रौनाही अयोध्या। गिरो अभिन्न के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 458 / 23 धारा 60 आबोअधिनी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 08.09.23 को वादी उठनी श्री राम अवतार राम थाना कोबीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हृदयराम पुत्र गया प्रसाद निनी असरेवा थाना कोबीकापुर अयोध्या। गिरो अभिन्न के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोबीकापुर में मु0अ0सं0 455 / 23 धारा 60 आबोअधिनी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 08.09.23 को वादी उठनी श्री जय किशोर अवस्थी थाना कोबीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र शिवरतन निनी चकसेनपुर खपरैला थाना तारून अयोध्या। गिरो अभिन्न के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोबीकापुर में मु0अ0सं0 456 / 23 धारा 60 आबोअधिनी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 08.09.23 को वादी उठनी श्री जय किशोर अवस्थी थाना कोबीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अजय कुमार पुत्र गुरु दयाल निनी चकसेनपुर खपरैला थाना तारून अयोध्या। गिरो अभिन्न के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोबीकापुर में मु0अ0सं0 457 / 23 धारा 60 आबोअधिनी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 08.09.23 को वादी उठनी श्री भानूप्रताप शाही थाना कोबीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बृजकिशोर वर्मा पुत्र रामकृपाल निनी शेरपुर खपरैला थाना कोबीकापुर अयोध्या। गिरो अभिन्न के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोबीकापुर में मु0अ0सं0 458 / 23 धारा 60 आबोअधिनी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 08.09.23 को वादी मठउठनी पूजाराज थाना कोबीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पुत्र सभाजीत निनी भावापुर थाना कोबीकापुर अयोध्या। गिरो अभिन्न के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोबीकापुर में मु0अ0सं0 459 / 23 धारा 60 आबोअधिनी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 08.09.23 को वादी उठनी श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भानू प्रताप पुत्र प्रदीप कुमार निनी सराय मनोहर थाना हैदरगंज अयोध्या। गिरो अभिन्न द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली लड़कियों-महिलाओं पर भद्रदी-भद्रदी टिप्पणी करना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 175 / 23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 08.09.23 को वादी मुआरक्षी श्री शैलेष कुमार यादव थाना तारून अयोध्यां द्वारा सूचना दिया गया कि राज बहादुर उर्फ मेल्हू निषाद पुत्र रामजग निनी रजौरा थाना तारून अयोध्या। गिरो अभिन्न के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 245 / 23 धारा 60 आबोअधिनी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिव बहादुर पुत्र ननहकऊ नि० बीबीपुर पेड़रा थाना तारून अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0आ०सं० 246 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मिश्री लाल पुत्र मुनेसर नि० फतेहपुर कमासिन थाना तारून अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0आ०सं० 247 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

22. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश कुमार पुत्र रामदेव नि० मोहदी का पुरवा थाना इनायतनगर अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0आ०सं० 400 / 23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

23. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री बृजेश कुमार यादव थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजितराम पुत्र शिवराम नि० पलिया जगमोहन थाना इनायतनगर अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0आ०सं० 401 / 23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

24. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री अभ्य प्रताप सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामसूरत पुत्र रामप्रताप नि० तुलापुर थाना इनायतनगर अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0आ०सं० 402 / 23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

25. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री अर्जुन यादव थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि चेतु कोरी पुत्र बुधई नि० लाल का पुरवा थाना कुमारगंज अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0आ०सं० 165 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

26. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री शैलेष कुमार त्रिवेदी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि निमदू पुत्र हौसिला नि० मोहली थाना खण्डासा अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0आ०सं० 191 / 23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

27. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री राहुल कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विक्रम मंशा पुत्र ननकऊ नि० सिड्सिड्स थाना खण्डासा अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0आ०सं० 192 / 23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

28. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि० श्री शैलेष कुमार त्रिवेदी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि साधूराम पुत्र रामहुलास नि० पाकड़पुर थाना खण्डासा अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0आ०सं० 193 / 23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

29. दिनांक 08.09.23 को वादी मु0आरक्षी श्री उमेश कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि काशीराम पुत्र बुद्धिराम नि० पाकड़पुर थाना खण्डासा अयोध्या |गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0आ०सं० 194 / 23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

30. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सतराम पुत्र शिवनाथ नि0 जैथरी थाना को0रुदौली अयोध्या |**गिर0** अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 454 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

31. दिनांक 08.09.23 को वादी मु0आरक्षी श्री हैदरअली खॉ थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि कौशल कनौजिया पुत्र सूर्यबली कनौजिया नि0 पूरे गोड़ियन थाना असन्द्रा बाराबंकी। **गिर0** अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 132 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

32. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पवन पुत्र रामबरन नि0 बनमऊ थाना बाबा बाजार अयोध्या |**गिर0** अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 120 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

33. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री धर्मन्द्र सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीकिशन पुत्र राम सतन नि0 गुलरिया थाना पटरंगा अयोध्या |**गिर0** अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 206 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

34. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामकरन प्रसाद थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि भारत रावत पुत्र जगरूप नि0 कटघरा जखौली थाना पटरंगा अयोध्या |**गिर0** अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 207 / 23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।